<u>का.आ.- 371(अ) दिनांक 08.02.2017 का हिन्दी अनुवाद</u>

अधिसूचना

का.आ.- 371(अ) सेवाओं या फायदों या सहायकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (जिसे इसमें इसके पश्चात् टीपीडीएस कहा गया है) के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एनएफएसए कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों को लागू करने तथा उक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन जारी खाद्य सहायकी का नकद अंतरण नियम, 2015 के नकद अंतरण करने से अंर्तवर्लित व्यय भारत की संचित निधि से प्रोद्भूत होंगे;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :--

1. (1) एनएफएसए के अधीन सहायकी खाद्य अनाज या खाद्य सहायकी के नकद अंतरण को प्राप्त करने के पात्र और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी वैद्य राशन कार्ड रखने वाली सभी व्यैष्टिकों से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार के अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करे । कोई नए पात्र हितग्राही जो एनएफएसए के अधीन सहायकी प्राप्त खाद्य अनाज या खाद्य के नकद अंतरण सहायकी को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा चुना गया है से भी यह अपेक्षित है कि वह अनुवर्ती खंड में यथा वर्णित आधार सख्यांक को रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) एनएफएसए के अधीन खाद्य अनाज सहायकी या खाद्य सहायकी के नकद अंतरण को प्राप्त करने के हकदार सभी ऐसे पात्र हितग्राही जिनके पास आधार संख्यांक नही है या आधार के लिए अभी तक नामेकित नहीं है, लेकिन खाद्य अनाज सहायकी या एनएफएसए के अधीन सहायकी के नकद अंतरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं से अपेक्षित है कि वह 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन कर दे, परंतु उक्त अधिनियम धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हैं और ऐसे व्यष्टि किसी आधार नामांकन केन्द्र (<u>www.uidai.gov.in</u> पर उपलब्ध सूची) पर जाकर आधार के लिए नामांकन करा सकते है ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य

सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन खाद्य विभाग जिसे किसी व्यक्ति को आधार देने की अपेक्षा है, प्रसुविधा देने वाले के लिए नामांकन सुविधाओं के प्रस्ताव का आधार देने की अपेक्षा, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और आधार नामांकन केन्द्र क्रमश: ब्लॉक, ताल्लुक, तहसील में अवस्थित नहीं है की दशा में, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन खाद्य विभाग द्वारा यूआईडीएआई या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों या उनके द्वारा यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार बनने के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवाना अपेक्षित है।

परंतु यह कि एनएफएसए के अधीन जब तक किसी व्यष्टिक को आधार समनुदेशित किया जाता है तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने के अध्यधीन सहायकी खाद्य अनाज या खाद्य सहायकी के नकद अंतरण की सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी; अर्थात:--

(ग) राज्य या संघराज्यक्षेत्र प्रशासन के खाद्य विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड

(घ) (i) जबकि वह नामांकित है, उनके आधार नामांकन पहचान स्लिप या
(ii) पैरा 2 में उपपेरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ग) (i) भारत निर्वाचन आयोग जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी उसके फोटो सहित कोई पहचान प्रमाणपत्र फोटोयुक्त बैंक पासबुक; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी किया गया पता पत्र जिस पर नाम एवं फोटो भी हो; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:
परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अभिहित प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी ।

2. फायदाग्राहियों को एनएफएसए के अधीन सुविधाजनक और निर्बाध सहायकी खाद्य अनाज देना या खाद्य सहायकी के नकद अंतरण उपलब्ध कराने के लिए या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेंगे, अर्थात्:--

(1) जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय या उचित दर की दुकान आदि के माध्यम से फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के लिए जागरुकता पैदा करने के लिए, मीडिया से विस्तृत प्रचार और जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय या उचित दर की दुकान आदि के माध्यम से व्यक्तियों को सूचना देनी होगी और उन्हें यह सलाह भी देनी होगी कि यदि वे पूर्व में नामांकित नहीं है तो वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर अपने आधार के लिए 30 जून 2017 तक नामांकन कराएं । स्थानीय उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की

सूची उन्हें उपलब्ध करानी होगी ।

(2) ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण, फायदाग्राहियों के सहायकी खाद्य अनाज या एनएफएसए अधीन खाद्य सहायकी के नकद अंतरण के लिए नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, खाद्य विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर यूआईडीएआई या विद्यमान यूआईडीएआई के रजिस्ट्रारों के सहयोग में या उनके द्वारा यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार बनने पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरें, उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से या अपनी सभी उचित दर दुकानों से अपने पते, मोबाइल संख्या के साथ अपने नामों को देकर सहायकी खाद्य अनाज या एनएफएसए अधीन खाद्य सहायकी के नकद अंतरण के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना उसके प्रकाशन की तारीख से, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी ।

4. राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन पात्र कुटुंब के व्यष्टिक हितग्राही द्वारा दिए आधार संख्यांक को रखने के सबूत की रसीद से तीस दिन में ऐसे कुटुंब को जारी राशन कार्ड या खाद्य सहायकी के नकद अंतरण के लिए बैंक के खाते से आधार संख्यांक लिंक करेगी ।

5. ऊपर पैरा में किसी बात के होते हुए भी कुटुंब में ऐसे सभी सदस्यों को आधार संख्यांक अनुदेशित न होने की दशा में पात्र राशनकार्ड में सूचीबद्ध पात्र कुटुंब हकदार सहायकी खाद्य अनाज की समस्त मात्रा या एनएफएसए को समीप खाद्य सहायकी के नकद अंतरण को प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि कुटुंब का कोई सदस्य राशन कार्ड के मध्यम की ऊपर खंडो में निर्दिष्ट दशाओं में पूरा करता है ।

[फा.सं. 9(2)/2016-पीडी ।।]

(दीपक कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार